न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-105/2017
CIS-71/2017

25/04/2022	वादी तथा प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गयी है। वादी तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र U/o-XXII Rule-2 & 4 R/W Section 151 C.P.C. दिनांक 17/01/2022 को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के प्रतिवादी सं०—1 सचिदानन्द पुरी की मृत्यु हो गयी है। अत: प्रतिवादी सं०—1 के स्थान पर उनके कानुनी वारीसानों का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी सं०—1 के क्रम में जोड़ने का आदेश दिया जाए। प्रतिवादी सं०—3 के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि यदि आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वादी तथा प्रतिवादी सं०—3 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में साक्ष्य बंद किया जा चुका है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अत: न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र U/o-XXII Rule-2 & 4 R/W Section 151 C.P.C. दिनांक 17/01/2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र से प्रतिवादी सं०—1 का नाम विलोपित कर उनके कानुनी वारीसानों का नाम वाद पत्र में प्रतिवादी सं०—1 के क्रम में जोड़े। वादी नावांकित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएँ दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय सम्मन दोनों प्रोसेस से निर्गत करें। वाद दिनांक 21.6.22 वास्ते प्रस्तुत करें अवर न्यायाधीश, प्रथम् पटना सिटी